an>

Title: Regarding change in name of High Court of Bombay to High Court of Mumbai.

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा मुद्दा है, लेकिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा इस शून्यकाल में इस सभागृह में पेश कर रहा हूं जो कि पिछले दस साल से केंद्र सरकार के पास निर्णय के लिए प्रलंबित है। एक बॉम्बे का नाम मुम्बई हो चुका, लेकिन 'बॉम्बे हाईकोर्ट' का नाम 'मुम्बई हाईकोर्ट' करने की विनती महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से 10 बरस पहले इस केन्द्र सरकार के पास भेजा, इस सभागृह में भी इस विÂषय के ऊपर मैं स्वयं चार बार शून्यकाल में मुद्दा उठा चुका हूं। हम सारे शिवसेना के सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिले और उनसे विनती की कि बॉम्बे हाईकोर्ट की जगह पर मुम्बई हाईकोर्ट का नामकरण करें। उनके आदेश से इस सभागृह में उसके बारे में विधेयक भी पेश कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से विधेयक को वापस कर दिया, विथड्रॉ कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय मैं फिर आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से विनती करना चाहता हूं कि एक मई, महाराष्ट्र का स्थापना दिन है, बॉम्बे की जगह पर मुम्बई हो चुका है। एक छोटा सा प्रश्न है, उसके बारे में एक मई के पहले निर्णय लें और बॉम्बे हाईकोर्ट की जगह पर मुम्बई हाईकोर्ट करके महाराष्ट्र के लिए आप अच्छा तोहफा दें। यह विनती मैं इस शून्यकाल के माध्यम से कर रहा हूं।

HON. DEPUTY-SPEAKER:

Kunwar Pushpendra Singh Chandel,

Shri Shrirang Appa Barne,

Shri Krupal Balaji Tumane,

Shri Chandrakant Khaire, and

Shri Prataprao Jadhav are permitted to associate with the issue raised by Shri Vinayak Bhaurao Raut.